राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/निप (जी–104/92आर) अलेसे–II/ 185-186 दिनांकः– 8.5.2018

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ,
रायसिंह नगर जिला गंगानगर।

विषयः– विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक 375 दिनांक 17.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 17.02. 2012 के अनुसार विदेश में निजी यात्रा पर जाने के इच्छुक अधिकारी कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को अपना अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र इससे पूर्व सक्षम अधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए। श्री चावला का अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र इस विभाग में दिनांक 26.04.2018 को प्राप्त हुआ है जबकि वह दिनांक 09.05.2018 से निजी पारिवारिक यात्रा पर कनाडा जाना चाहते है। अतः आवेदन पत्र उचित समय पर इस निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

इनके अतिरिक्त शपथ पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्राप्त नहीं हुआ है तथा पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में श्री चावला को विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार किया जाना संभव नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/निप (जी–104/92आर) अलेसे–II/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री गुरदीप सिंह चावला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रायसिंह नगर, जिला गंगानगर।
2. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\Dharmveer ji\simple letter.1.docx